(वाद सं0–3398/4/7/2020)

07.03.2022

परिवादी, विद्यानंद सिंह, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, विद्यानंद सिंह, भूतपूर्व सैनिक, बक्सर जिला के सिमरी प्रखण्ड अन्तर्गत नगवां गांव में परिवादी के घर आने–जाने के रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराने से संबंधित है।

उक्त पर पुलिस अधीक्षक, बक्सर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, बक्सर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर के प्रतिवेदनानुसार ''अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर द्वारा जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि परिवादी, विद्यानंद सिंह, के घर के सामने ग्रामीण गली करीब 10फीट चौड़ा आम रास्ता है। परन्तु इनके विपरीत तरफ श्रीकृष्ण सिंह के द्वारा इस गली को अतिक्रमण करते हुए सड़क को करीब 05फीट ईंटा लगाकर अतिक्रमण कर लिए है। इस कारण वहाँ पर रास्ते की चौड़ाई 5फीट रह गई है। वही इस रास्ते पर आवेदक के घर के बगल में सरकारी चापाकल गाड़ दिया गया है। जिससे रोड में आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गई है। परिवादी की मांग है कि इस चापाकल के आगे से सरकारी भूमि में 10फीट का रास्ता दिया जाय। परिवादी जिस स्थान से 10फीट रास्ते की मांग कर रहे हैं, उस स्थान पर वर्त्तमान में ईट पक्का का मकान बना हुआ है। जहां से इस मकान को तोड़ने पर ही रास्ता बनाया जा सकता है। उपस्थित ग्रामीणों से पूछ–ताछ के क्रम में बताया गया कि श्री कृष्ण के द्वारा रास्ते का अतिक्रमण किया गया है। वहीं दूसरी ओर बीच सड़क पर ही सरकारी चापाकल गड़वा देने के कारण लोगों के आवगमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।''

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराकर सुचारू आवागमन को बहाल कराने का पुनः अनुरोध किया गया है।

आज परिवादी का राज्य आयोग के समक्ष कथन है कि उसकी ओर से प्रसंगाधीन मामले के समरूप मामला व्यवहार न्यायालय, बक्सर में दाखिल किया गया है, जो विचाराधीन है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामले के समरूप एक मामला सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध राज्य

आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न मानते हुए राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक